रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No. 1547] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASHADHA 13, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2013

आयकर

का.आ. 2005(अ).— जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला संलग्न प्रोतोकोल (इसे इसके बाद प्रोतोकोल कहा गया है), जिस पर 16 फरवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, 13 जून, 2013 को प्रभाव में आयेगा जो उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार प्रोतोकोल को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है ।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 13 जून, 2013 से लागू होंगे ।

[अधिसूचना सं. 50/2013/फा. सं. 500/27/2007-एफटीडी-II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराजय की सरकार और बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में दिनांक 27 अगस्त, 1991 को हस्ताक्षरित अभिसमय को (जिसका इस प्रोतोकोल में "अभिसमय" के रूप में उल्लेख किया गया है) संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अनुच्छेद 21 का लोप करते हुए और निम्निलिखित को प्रतिस्थापित करते हुए इस अभिसमय को संशोधित किया जाता है :

अनुच्छेद 21 - विद्यार्थी

1. कोई विद्यार्थी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उस राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:

(क) अनुदानों, भत्तों, छात्रवृत्तियों अथवा पुरस्कारों; अथवा

(ख) उस राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके निर्वाह, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए किए गए भुगतान पर; या

(ग) नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर जो वह दूसरे संविदाकारी राज्य में करता है यदि वह नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उसके अध्ययनों से जुड़ा है।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि तक उपलब्ध होगें जो ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए तर्कसंगत हो अथवा प्रथागत रूप से अपेक्षित है परन्तु किसी भी हाल में किसी व्यष्टि को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजन से प्रथम आगमन की तारीख से लगातार छः साल से अधिक समय तक प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 28 का लोप करते हुए और निम्निलिखित को प्रतिस्थापित करते हुए इस अभिसमय को संशोधित किया जाता है:

अनुच्छेद 28 - सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचनाओं का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे और वे सूचनाओं को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। अनुरोधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की व्यक्त लिखित सहमति के बिना अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा प्रवर्तन एजेंसी को सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकतीं।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 3

प्रवृत्त होना

संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए अपनी घरेलू अपेक्षाएं पूरी होने पर राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। प्रोतोकोल, जो अभिसमय का अभिन्न अंग होगा, अंतिम अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसके उपरांत इस प्रोतोकोल के लागू होने की तारीख से लागू होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

बांग्लादेश, ढाका में वर्ष दो हजार तेरह के फरवरी माह के 16वें दिन हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(पंकज सरन)
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त

बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य
की सरकार की ओर से

(मु. गुलाम हुसेन)
सचिव
सचिव, आंतरिक सम्पदा डिविजन
औरअध्यक्ष, राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड

2950 GI/13-2

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2013

(Income-tax)

S.O. 2005(E).— Whereas the annexed Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Reublic of Bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as "Protocol") signed on the 16th day of February, 2013 shall enter into force on the 13th day of June, 2013, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective countries for the entry into force of the Protocol, in accordance with the provisions of Article 3 of the said Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 13th day of June, 2013.

[Notification No. 50/2013/F. No. 500/27/2007-FTD-II]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at New Delhi on the 27th day of August 1991 (in this Protocol referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

Article 1

The Convention is amended by omitting Article 21 and substituting:

"Article 21 - STUDENTS

1. A student who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:

(a) grants, allowances, scholarships or awards; or

(b) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; or

(c) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other Contracting State if the employment is directly related to his studies.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other State for the purpose of his education or training."

Article 2

The Convention is amended by omitting Article 28 and substituting:

"Article 28 - EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents and certified copies thereof) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes and may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other authority or enforcement agency of the requesting Contracting State without the express written consent of the competent authority of the requested Contracting State.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information (including documents and certified copies thereof) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding

sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 3

ENTRY INTO FORCE

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the date of the last notification, and thereupon shall have effect from the date of entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Dhaka, Bangladesh this 16th day of February, 2013, in the Hindi, Bengali and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Pankaj Saran)
High Commissioner
of India to Bangladesh

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

(Md. Ghulam Hussain)
Secretary
Internal Resources Division
and
Chairman, National Board of Revenue

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.